संक्षिप्त

शिवजीराम मीणा को पी.एच.डी.

शिवजीराम मीणा

टोंक, (निसं)। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटेलेक्यूचल कॉन्क्लेव 2024 के मौके पर हेसन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा टोंक निवासी एवं समाजसेवी शिवजीराम मीणा जालरा को विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर की मानद उपाधी से सम्मानित किया गया।

युवती की संदिग्ध मौत

मंडावरी, (निसं)। किशोरपुरा ग्राम की रहने वाली एक युवती की तबीयत खराब होने के बाद चिकित्सक द्वारा घर पर दवा देने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक युवती लक्ष्मी 25 फरवरी को ही गोड का वास तहसील कोटखवदा लगन टीका विवाह के लिए गई थी एवं 4 मार्च को दो सगी बहनों का विवाह होना था। वहीं सोमवार शाम को युवती की अचानक तबीयत नासाज होने पर उसके मोसेरे भाई मोहित व सगी बडी बहिन कोमल मंडावरी में चिकित्सक को उसके निवास पर दिखाया जहां पर चिकित्सक द्वारा दवा देने के के बाद युवती की हालत बिगडी और उप जिला अस्पताल मंडावरी लाने तक मौत हो गई। वही मौके पर मौजूद मंडावरी थानाधिकारी सुनील टांक ने बताया कि अभी तक पीडित परिजनों द्वारा किसी प्रकार का कोई परिवाद नहीं दिया गया है एतियाहत के तौर पर मौके पर पुलिस तैनात है। वही तहसीलदार अमितेश मीणा ने भी मंडावरी उप जिला अस्पताल पहुंच जानकारी ली।

आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

देवली, (निसं)। यहां पत्रकार पर हमला करने वाले दोषियों को गिरफ्तार कर सख्त सजा दिलवाने की मांग की गई। सोमवार को स्थानीय श्री रेगर समाज विकास समिति देवली ने राज्यपाल के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी दुर्गा प्रसाद मीणा को सौंप कर पत्रकार बनवारी लाल वर्मा पर बजरी माफिया द्वारा हमला करने वाले नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त सजा दिलाने की मांग की है। इसी के साथ बजरी माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में रेगर समाज के समस्त सामाजिक बंधु मौजूद रहे।

अवैध नल कनेक्शनों पर कार्यवाही

मालपुरा, (निसं)। अवैध नल कनेक्शनों पर जलदाय विभाग की टीमों ने कार्यवाही करते हुये डेढ दर्जन से अधिक अवैध कनेक्शन काट जुर्माना भरा। सहायक अभियंता तारा स्वामी के सुपरविजन में गठित टीम ने सोमवार को आवडा गांव में दिनेश चौधरी, छोटी देवी जाट, रामावतार पलसानिया, उमराव, प्रधान जाट, भंवर जाट, श्योजीराम चौधरी, राजाराम चौधरी, विकास जांगिड, भंवर चौधरी, सूरजकरण चौधरी व गोविन्द धांधा के अवैध नल कनेक्शन काट 9020 का जुर्माना भरा गया।

भूगोल प्रायोगिक परीक्षा चार मार्च को

निवाई, (निसं)। राजकीय कन्या महाविद्यालय में बी पार्ट प्रथम एवं बीए पार्ट द्वितीय वर्ष की भूगोल प्रायोगिक परीक्षा 4 मार्च को आयोजित होगी। प्राचार्य प्रो. पानमल पहाडिया ने बताया कि म.द. विश्व विद्यालय की भूगोल प्रायोगिक परीक्षा 4 मार्च को 9:30 बजे आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिए सभी छात्राओं को भूगोल प्रायोगिक फाईल एवं प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है।

अस्थाई कार्मिकों ने सौंपा ज्ञापन

लालसोट, (निसं)। उपखंड क्षेत्र में सरकारी कार्यालय में ठेका प्लेसमेंट एजेंसी पर कार्यरत संविदा कर्मियों द्वारा आरएलएसडीसी बोर्ड का गठन कर अस्थाई कर्मी को नियमित किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया।

नम्बर मिलाइए
9587884433

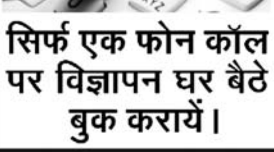

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

विधायक जूली के कार्यालय का गेट तोड़ने वाले चार आरोपी गिरफ्तार

अलवर, (निसं)। अलवर ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली के कार्यालय में बीती रात शराब के नशे में आए चार युवकों ने अपनी कार को जूली के कार्यालय के टक्कर मार दी। इससे उनके कार्यालय का गेट क्षतिग्रस्त हो गया।

यह घटना बीती रात 11 बजे की है जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई। बताया जा रहा है कि एक स्कॉर्पियो में चार जने बैठे हुए थे और वे शराब के नशे में धुत थे। आते ही टीकाराम जूली के कार्यालय के गेट में टक्कर मार दी जिससे उनका गेट क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर उनकों पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पूछताछ की जा रही है।

इधर प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने बताया कि उनकी किसी से रंजिश नहीं है इस घटना का रात को पता चला मैंने पुलिस को सूचना दी। थोडी सी दूर पर ही पुलिस होने के बावजूद भी आधे घंटे देरी से आई। उसने चार जनों को पकडा है। जांच चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर के बीचो-बीच मेरा कार्यालय है उसके बावजूद भी बदमाश खुलेआम अपराध कर रहे हैं।

अलवर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।

इधर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए महज 4 घंटे में अज्ञात आरोपियों की पहचान कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया व घटना में प्रयुक्त वाहन स्कॉर्पियो को जब्त किया गया। पुलिस ने निलेश उर्फ वीरु निवासी खुदनपुरी थाना वैशाली नगर, भूपेन्द्र सिंह निवासी खुदनपुरी थाना वैशाली नगर अलवर, शौएब खान निवासी अभनपुर थाना तिजारा जिला खैरथल-तिजारा, सौरभ मीना निवासी बी-8 मालवीय नगर श्रीराम कॉलोनी थाना अरावली विहार अलवर को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ से आरोपियों द्वारा उक्त घटना शराब के नशे में कारित करना सामने आया है। आदि पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। उक्त घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

■ सभी आरोपी शराब के नशे में धुत थे

ध्यान योग शिविर शुरू करने की मांग

सांभरझील, (निसं)। विद्यार्थियों में बौद्धिक विकास के लिए सभी विषयों की पढाई के साथ-साथ 30 मिनट का ध्यान योग शिविर शुरू करवाने के लिए प्रधानमंत्री मंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राजस्व विभाग के पूर्व लिपिक शैलेश माथुर व समाजसेवी तरुण कुमार उपाध्याय ने पत्र लिखकर आगामी सत्र से इस विषय को अनिवार्य रूप से शामिल किए जाने का अनुरोध किया है। बच्चे नियमित रूप से ध्यान करेंगे तो मन एकाग्रचित होगा। बच्चे जब पढ़ाई करेंगे तो एकाग्रचित होकर वह अपने मनपसंद विषय का चुनाव कर उसमें दक्षता भी हासिल कर सकेंगे।

महिलाओं ने लगाई कनक दंडवत

मालपुरा, (निसं)। हिन्दु संस्कृति में पवित्र माह के महिने में दोज के अधीन कनक दण्डवत कर श्रीजी के दर्शन करने का विशेष महत्व होने के चलते सोमवार को सैकड़ों महिलाओं ने कनक दण्डवत लगाई। कल्याण महिला मंडल सर्वसमाज की महिलाओं ने जयपुर भीलवाडा स्टेट हाईवे नुक्कड चौराहे से डिग्गी कल्याणजी मंदिर तक तीन किलोमिटर की लम्बी कनक दण्डवत लगाई।

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मकान 172/104, सेक्टर-17, प्रताप नगर, सागानेर, जयपुर राजस्थान के निम्न मूल दस्तावेज खो गये है। 1. बकाया राशी जमा कराने का मांग पत्र संख्या-3674 दिनांक 29.10.2007. 2. बकाया राशी जमा कराने की रसीद संख्या-18108 दिनांक 30.11.2007. 3. नियमितीकरण पत्र एवं अदेय प्रमाण-पत्र संख्या-958/4625 दिनांक 12.12.2007. 4. PERPETUALE LEASE AND Conveyance Deed-Allottee along with Site Plan (दिनांक 31.12.2007); श्री पदम सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह). 5. विक्रय पत्र श्री पदम सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह से श्री तेजकरण पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण दिनांक 30.03.2009. उपरोक्त मूल दस्तावेज की रिपोर्ट LR No.-2090373/2024 में दर्ज करा दी गई है। श्री अंकित कुमार बंसल ने SBI में लोन हेतु आवेदन किया है। यदि किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन तिथी से 7 दिवस मे सम्पर्क करे (1) आयुशी अग्रवाल पुत्री श्री बिहारी लाल गुप्ता, निवासी-दौलतपुरा, करौली, राजस्थान-322218 एंव (2) सुनील कुमार गुप्ता पुत्र श्री बाबु लाल गुप्ता, निवासी-गोपाल सिनेमा के पीछे, हिण्डोन, जिला-करौली, राजस्थान-322230.

आम सूचना हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य बुन्दू खाँ पुत्र अलाद्दीन खाँ जाति मुसलमान निवासी प्लाट नंबर 1429, यजदानी चौक, मदीना मस्जिद राणा कॉलोनी नाहरी का नाका, जयपुर द्वारा एक संपत्ति प्लाट नम्बर ए-1/16 ए, व्यास कॉलोनी, नाहरी का नाका, शास्त्री नगर जयपुर को जरिये इकरारनामा उसके मालिक स्वामियों से खरीद लिया हैं अगर किसी भी व्यक्ति व संस्था को कोई एतराज/आपत्ति हो तो 7 दिवस में मेरे कार्यालय मकान नम्बर 96, प्रेम नगर आगरा रोड जयपुर में प्रस्तुत करें या मोबाईल नम्बर 9929888552 पर सम्पर्क करें। अन्यथा 7 दिवस बाद उक्त सम्पत्ति की रजिस्ट्री करवा ली जावेगी उसके बाद कोई उज्र एतराज मान्य नहीं होगा। अतः सूचित रहे।
जयपुर सियाराम शर्मा, एडवोकेट
दिनांक-26.02.2024 मो. 9929888552

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट
क्रम-15, बस्सी, जयपुर महानगर, प्रथम
कैलाश चन्द विरूद्ध हर खास व आम
वाद बाबत मृत (सिविल डेथ) घोषित किये जाने
वाद संख्या 75/2023
बनाम हर खास व आम
वादी ने आपके विरूद्ध माधो लाल जांगिड पुत्र स्व. रामबक्श को मृत (सिविल डेथ) घोषित किये जाने के लिए वाद पंजीयत किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 22.03.2024 को दिन में 10.00 बजे दावे का उत्तर देने के उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूी में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज दिनांक 19 माह 02 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। मोहर
अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट 15, जयपुर महानगर प्रथम, मुख्यालय बस्सी

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम नरेन्द्र सिंह सांचौरा से बदलकर नरेन्द्र सिंह पुत्र पन्ने सिंह रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें निवासी-डी-32, विद्याधर नगर, जयपुर

मैंने अपना नाम दाउद से बदलकर दाउद अहमद रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए, दाउद अहमद पुत्र श्री शमीम अहमद निवासी-11-ए, नामदा कॉलोनी, बांस की पुलिया, कदम रसूल की दरगाह के पीछे, चार दरवाजा, जयपुर राजस्थान-302002

मैंने अपना नाम वाशुदेव से बदलकर वाशुदेव मोतियानी रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए। प्लाट नं. 79, सिंधी कॉलोनी, बनीपार्क, जयपुर

मैं सुष्मिता शुक्ला पत्नी विनय कुमार शुक्ला निवासी लोहंगपुर पोस्ट बिहारगंज तहसील सदर जिला प्रतापगढ यूपी 230502 मैंने अपना नाम सुष्मिता शुक्ला से बदलकर सुष्मिता कर लिया है। जिला न्यायालय जयपुर के समक्ष दिनांक 15.02.2024 को शपथपत्र के माध्यम से।

मैंने अपना नाम सुनील कुमार मोतियानी से बदलकर सुनील मोतियानी रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए। प्लाट नं. 79-ए, सिंधी कॉलोनी, बनीपार्क, जयपुर।

मैंने अपना नाम आशीष (Aashish) सोनी पुत्र राम दयाल सोनी से बदलकर आशीष (Ashish) पुत्र स्व. बुधराम कर लिया है, भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए। पता-268, भाखरों का मोहल्ला, गांव मलखेडा, तहसील भादरा, 5 एम्स, हनुमानगढ़-335511 राजस्थान

मैंने अपना नाम अग्रवाल शिखर चन्द हरिदत्त से बदलकर शिखर चन्द अग्रवाल कर लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए। पता-71/109 मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर

मैंने अपने पुत्र का नाम आशीष (Aashish) सोनी पुत्र राम दयाल सोनी से बदलकर आशीष (Ashish) पुत्र स्व. बुधराम कर लिया है भविष्य में इसे इसी नाम से जाना जाए। पता-268, भाखरों का मोहल्ला, गांव मलखेडा, तहसील भादरा, 5 एम्स, हनुमानगढ़-335511 राजस्थान

मैंने अपना नाम यशपाल से बदलकर यशपाल सिंह कर लिया है अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये। पता-A-24, सैकण्ड फ्लोर, त्रिमूर्ती कोहिनूर गार्डन, सांगानेर, जयपुर।

मैंने मेरा नाम शाहीन कुरैशी से बदलकर सृजना गुर्जर रख लिया है भविष्य में मुझे सृजना गुर्जर के नाम से जाना जाये। निवासी-369 सेक्टर-8, विद्याधर नगर, जयपुर

मैं, सुष्मिता शुक्ला, पत्नी विनय कुमार शुक्ला निवासी लोहंगपुर पोस्ट बिहारगंज, तहसील सदर जिला प्रतापगढ यूपी-230502 मैंने अपना नाम सुष्मिता शुक्ला से बदलकर सुष्मिता कर लिया है। जिला न्यायालय जयपुर के समक्ष दिनांक 15.02.2024 को शपथपत्र के माध्यम से।

मैंने अपना नाम वाशुदेव से बदलकर वाशुदेव मोतियानी रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए। P.No.79, सिंधी कॉलोनी, बनीपार्क, जयपुर।

मैंने अपना नाम सुनील कुमार मोतियानी से बदलकर सुनील मोतियानी रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए। P.No79-A, सिंधी कॉलोनी, बनीपार्क, जयपुर।

I Dilkhush Dholi S/o Dayal Dohli R/o VTC- Dabar, PO- Dabar, Bamanwas, District- Sawai Madhopur, Rajasthan- 322214, have changed my name to David Singh

खोया पाया

मैरे प्लाट नम्बर 22 योजना मदन विहार हरमाडा सीकर रोड, जयपुर जो श्री जनता कापरेटिव हा.सो.लि. द्वारा बसाई योजना है उक्त योजना की मूल रसीद कहीं खो गई है मिलने पर सूचित करें उचित इनाम देय है। जिले सिंह-9887048409

मेरे प्लॉट संख्या बी-38, स्वप्न लोक सीकर रोड जयपुर का अलॉटमेंट लेटर सलवाडी से खेड़ली के बीच कहीं खो गया है मिलने पर सूचित करें। गोविंद सिंह पुत्र श्री शिव सिंह, वार्ड नं.2, राजपूत कॉलोनी, सलवाडी, तहसील कठूमर, जिला अलवर मो . 8114411696

श्री गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गणेश नगर के प्लाट न 130 का सोसायटी से जारी साईट प्लान अजमेर मे खो गया है सूचित करे हिम्मत सिंह मो 9799105286

I have Lost My Property Documents (Including Patta) of C-35, Pratap Marg, Tilak Nagar, Jaipur. If found please Contact-Jagmohan Joshi S/o Sampat Lal Joshi- 9928462987

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
नाम न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
क्र.सं. 4, जयपुर महानगर प्रथम
चन्द्र प्रकाश शर्मा विरूद्ध संतोष कुमार बायसीवाला
वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
वाद सं. 30सन् 2022
नाम संतोष कुमार बायसीवाला पुत्र श्री रामजीलाल बायसीवाला जाति महाजन निवासी मकान नम्बर सी-73, सरोजनी मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान) वादी ने आपके विरूद्ध दावा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 07 माह 03 सन् 2024 को दिन में 10.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वादकी सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज दिनांक 21 माह 02 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।
मोहर अदालत
आज्ञा से-वरिष्ठ रीडर/शरिस्तेदार
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
क्रम 4 जयपुर महानगर प्रथम

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 3131/2017
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम श्रीमती मीना सिंह पुत्री अयोध्या प्रकाश ई-14/20 बसंत विहार, नई दिल्ली जरिये मु. महेन्द्र चौधरी पुत्र रोहिताश चौधरी विवाद स्थान 83, राजेन्द्र नगर, वैशाली नगर, जयपुर
मृतक स्व. श्रीमति सत्य प्रकाश की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 20.03.2024
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम श्रीमति सत्यप्रकाश पत्नि अयोध्या प्रकाश जाति... 83, राजेन्द्र नगर, वैशाली नगर, जयपुर, ई-14/20 बसंत विहार, नई दिल्ली का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 20 माह 03 सन् 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 14 माह 02 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
प्रार्थिया ने मृतका सत्य प्रकाश के एसबीआई छाया पाई लियामेट स्ट्रीट दिल्ली के पेंशन अकाउंट में जमाशुदा राशी मय ब्याज प्राप्त करने बाबत उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र चाहा है।
मोहर अदालत
आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैशन न्यायालय
जयपुर महानगर-प्रथम

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
नाम न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-18, जयपुर महानगर द्वितीय (मु. आमेर)
कमला देवी विरूद्ध शीला
वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
वाद सं. 06सन् 2024
नाम श्रीमती शीला पुत्र चिमनराम जाति.... स्थान ग्राम जटवाड़ा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर (राज.) वादीया ने आपके विरूद्ध घोषणा व स्था. निषे. के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 07 माह 03 सन् 2024 को दिन में 10.30 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज दिनांक 22 माह 02 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया। मोहर अदालत
रीडर शेरिस्तेदार
अपर सिविल न्यायालय एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम सं. 18, जयपुर महानगर द्वितीय मुख्यालय आमेर

जल भराव की समस्या पर कलेक्टर ने बनाई कार्य योजना

■ अधिकारियों को समय अवधि में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए

किशनगढ़बास/भिवाडी, (निसं)। जिला कलेक्टर डॉ अर्तिका शुक्ला ने भिवाडी की जल भराव की समस्या से निपटने के लिए पांच रणनीतिक तरीकों से कार्य योजना बनाकर अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए जिम्मेवारी सौंपी है। जिससे सडकों पर भरे रहने वाले पानी से लोगों को निजाद मिले सके।

कलेक्टर ने बताया कि भिवाडी औद्योगिक क्षेत्र में पंजीकृत कुल 953 इकाईयों का रीको यूनिट प्रथम व प्रदूषण मंडल भिवाडी के कार्मिकों की संयुक्त टीम का गठन किया है। जो सभी इकाईयों का निरीक्षण करेगी। निरीक्षण में सीईटी से नहीं जुड़ने वाली इकाइयों को प्रावधान अनुसार जुर्माना एवं बंद किया जाएगा। इसके साथ 15 मार्च तक औद्योगिक इकाइयों के सीधा नालों में होने वाले रिसाव को जीरो किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मिलकपुर गुर्जर, नांगलिया से खुले में बहुत अधिक मात्रा में पानी का निकास भी इस समस्या का एक बडा कारण बना है। इस पर नगरपरिषद ग्राम मिलकपुर गुर्जर तथा नांगलिया में 30 मार्च तक पाईप लाईन बिछाने व प्रत्येक घर में कनेक्शन दिया जाना सुनिश्चित करेगी। इस दिशा में कार्य शुरू किया जा चुका है। इससे 1.5-2 एमएलडी पानी सीवरेज के माध्यम से एसटीपी पहुंचाया जाएगा।

15 मार्च तक भिवाडी में अमृत 2.0 योजना के तहत 34 एमएलडी के सीईटीपी की डीपीआर को फाइनल कर प्रस्ताव को राज्य सरकार भेजा जाएगा। रीको, नगर परिषद भिवाडी व बीडा 15 मार्च तक अपने क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम की संपूर्ण सफाई कराएंगें। बीडा सभी कॉलोनीयों, हाउसिंग सोसाइटियों का 30 मार्च तक सर्वे कर कॉलोनी, हाऊसिंग सोसाइटी में एसटीपी, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं मिलने पर प्रावधान अनुसार कार्रवाई करेगी। औद्योगिक इकाइयों के साथ संयुक्त बैठक कर ट्रीट हुए पानी को खुले में डिस्चार्ज ना करते हुए एक प्लान बनाया जाएगा जिससे शोधित पानी का उपयोग किया जा सकेगा।

सी.एम. ने देरी के लिए मांगी माफी, निवाई में फिर आने का वादा किया

निवाई, (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने निर्धारित समय 6 बजे से करीब साढ़े 4 घंटे देरी से निवाई पहुंचे। मुख्यमंत्री सभा स्थल पर जैसे ही 10.30 बजे पहुंचे वहां मौजूद करीब डेढ़ हजार लोगों की भीड मुख्यमंत्री के समर्थन में नारे लगाने लगी। मुख्यमंत्री का पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 51 किलो फूलों की माला से स्वागत किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभा स्थल पर देरी से पहुंचने के लिए आमजन से मंच के माध्यम से माफी मांगी और कहा कि मेरे प्रिय परिवारजनों दिन में कई समारोह व स्वागत के कार्यक्रमों की व्यस्तता के चलते आभार सभा में पहुंचने में देरी हो गई। नियमों की पालना करते हुए आप सभी को समय न देने हेतु सभी से मैं क्षमा चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं कि आप सभी के समक्ष पुनः लौटूंगा व सभी का स्नेहाशीष प्राप्त करते हुए क्षेत्र को विकास की बड़ी सौगात समर्पित करूंगा। मुख्यमंत्री सभा स्तर पर 10:30 बजे पहुंचे और 13 मिनट ही रुके। सांसद सुखवीरसिंह जौनापुरिया, विराटनगर विधायक कुलदीप धनकड ने भी संबोधित किया। इस दौरान जिला प्रमुख सरोज बंसल, पूर्व विधायक अजीतसिंह मेहता, जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराणा, प्रधान रामवतार लांगडी, शंकरलाल ठाडा, रामनिवास गुर्जर, नरेश बंसल, लक्ष्मी जैन, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष राजकुमारी शर्मा, सीताराम वर्मा, संभागीय आयुक्त महेश शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक अजमेर लता मनोज, जिला कलक्टर सौम्या झा, पुलिस अधीक्षक संजीव नैन, एडीएम सुरेश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदर्श चौधरी, एसडीएम समंदर सिंह, एसडीएम कपिल शर्मा, निवाई एसीएम सरिता मल्होत्रा, आदि मौजूद थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सभा में जैसे ही 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में सभा स्थल के बाहर के सभी माइक बंद कर दिए गए।

मुख्यमंत्री भजनलाल अपने निर्धारित समय से करीब साढ़े 4 घंटे देरी से निवाई पहुंचे। वहां मौजूद लोगों ने नारे लगाये।

एस.पी. ने मेला व्यवस्थाओं का जायजा लिया

खाटूश्यामजी, (निसं)। सीकर जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने सोमवार को खाटूश्यामजी पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन किए। दर्शन के पश्चात एसपी ने आगामी माह में आयोजित होने वाले बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले को लेकर अधिकारियों से फीड बैक लिया। उन्होंने लखदातार मैदान,चारण मैदान, लामिया तिराहे, श्याम कुंड, मंदिर दर्शन निकास मार्ग का दौरा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

एसपी यादव ने बताया कि बाबा श्याम के मेले में लाखों श्याम भक्त पहुंचते हैं। गत मेलें में जो खामियां रही,उन्हें दूर करके माकूल व्यवस्था की जाएगी। जिससे आने वाले श्याम भक्तों को सुगमतापूर्वक दर्शन हो सके। इसके लिए सभी अधिकारियों से चर्चा करके सुधार किए जाएंगे साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहेंगे।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत शिविर, 185 बच्चे लाभांवित

कोटपूतली, (निसं)। स्थानीय राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल में सोमवार को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि करण पटेल, सीएमएचओ डॉ. निर्मल कुमार जैन एवं बीसीएमओ डॉ. पूरण चंद गुर्जर ने फीता काटकर शिविर का शुभारम्भ किया।

शिविर में विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा आबीएसके टीम के सहयोग से विभिन्न विद्यालयों से चिन्हित 185 बच्चों को लाभान्वित किया गया। बीसीएमओ डॉ. पूरण चन्द गुर्जर ने बताया कि शिविर में त्वचा रोग के 30, नेत्र रोग के 66, नाक कान गला के 32, दन्त रोग के 39, स्त्री रोग के 18 बच्चों का इलाज किया गया साथ ही 19 बच्चों को चश्मे के नम्बर प्रदान किये गये है। सभी बच्चों की निःशुल्क जाँच कर दवाईयां उपलब्ध करवाई गई। शिविर के समापन पर बीसीएमओ डॉ. पूरण चन्द गुर्जर, डीएनओ रविकान्त जांगिड, बीपीएम विजय तिवाडी, लेखाकार महेन्द्र कुमार स्वामी, बीएएफ राजवीर गुर्जर, बीएनओ प्रेमप्रकाश सैनी ने टीम के सदस्यों एवं सहयोग करने वाले शिक्षकों को धन्यवाद दिया। शिविर में डॉ. आनन्द जैफ, डॉ. सुमेर सिंह, डॉ. कपिल यादव, डॉ. सुरेश यादव, डॉ. मंजू मौर्य, डॉ. विक्रम यादव, डॉ. प्रकाश सैनी, डॉ. योगिता कुमावत, डॉ. रवि शंकर डीगवाल, फार्मासिस्ट सीताराम सैनी एवं राजेन्द्र स्वामी आदि द्वारा बच्चों को परामर्श एवं उपचार किया गया।

शिविर का विधायक प्रतिनिधि करण पटेल, सीएमएचओ डॉ. निर्मल जैन, बीसीएमओ डॉ. पूरण गुर्जर ने फीता काटकर शुभारम्भ किया।

'देरी से किए भुगतान का ब्याज क्यों नहीं दिया'

टोंक, (निसं)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को सेवानिवृत्त अधिकारी को सेवानिवृत्त होने के 17 माह बाद उपार्जित अवकाश का भुगतान करने से जुड़े मामले में राज्य के प्रमुख वित्त सचिव, संयुक्त राजस्व सचिव, एनएचएम के मिशन निदेशक तथा टोंक के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में बताने को कहा है कि देरी से भुगतान के लिए जिम्मेवार अफसरों के विरुद्ध कार्यवाही कर याचिकाकर्ता को ब्याज का भुगतान करवाने पर स्थिति स्पष्ट करें। न्यायाधीश समीर जैन की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश मालपुरा के आदर्श नगर निवासी लेखा सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी ज्ञानचंद जैन द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए हैं। याचिका में बताया याचिकाकर्ता राजकीय सेवा से 30 जून 2022 को सेवानिवृत्त हुए तथा उपार्जित अवकाश का भुगतान 17 माह बाद सरकार की देरी से किया गया। याचिकाकर्ता ने कई बार विभाग को अभ्यावेदन देकर देरी से किये गए भुगतान के ब्याज दिलवाने की गुहार की किंतु विभाग ने ब्याज की राशि का भुगतान नहीं किया।

कमज़ोर लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाये : डॉ. रूबीना

■ मेगा विधिक जागरूकता एवं चेतना शिविर

टोंक, (निसं)। डोर स्टेप प्री-काउंसलिंग एवं मेगा विधिक जागरूकता व चेतना शिविर के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉ. रूबीना परवीन अंसारी ने मेगा विधिक चेतना एवं जागरूकता शिविर के माध्यम से सम्बोधित करते हुए कहा कि अधिकाधिक कमज़ोर तबके के लोगों को जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाये। डॉ. रूबीना परवीन अंसारी ने जिला मुख्यालय पर सोमवार को राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च के आयोजन से पूर्व डोर-स्टेप प्री-काउंसलिंग शिविर के साथ आयोजित किये मेगा विधिक जागरूकता एवं चेतना शिविर कार्यक्रम के दौरान अपने उक्त विचार अभिव्यक्त किये।

इस दौरान मेगा विधिक चेतना एवं जागरूकता शिविर में केन्द्र व राज्य सरकार एवं विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाएं के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान कर विभिन्न योजनाओं के तहत योजनाओं का लाभ लाभान्वितों को मौके पर ही दिया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण(नालसा), राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) आमजन को उनके अधिकार एवं कत्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं, ताकि उनका जीवन सुदृढ हो सके एवं उनको संबंधित योजनाओं का लाभ मिल सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) द्वारा जनसेवा के क्षेत्र में आमजन की सेवार्थ संचालित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं एवं संपादित किये जा रहे जनसेवा से संबंधित विभिन्न कार्यों पर प्रकाश डालते हुये विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों के संबंध में जानकारी दी। मेगा विधिक चेतना एवं जागरूकता शिविर के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चीफ, लीगल एड डिफेंस काउंसिल रमेश शर्मा डिफेंस काउंसिल सिस्टम के संबंध विस्तार से जानकारी प्रदान की। इसी क्रम में पैनल अधिवक्ता अशोक कुमार साहू द्वारा पीडित प्रतिकर स्कीम के संबंध में आमजन को विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर भागचन्द शर्मा, डॉ. सादिक अली, सुनिता चावला, मनीष पवार, सुश्री रेणु परिडवाल, कानसिंह, गणेश सैनी, एस.के.अग्रवाल, विकास जैन, रणधीर कुमार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मुख्य प्रबन्धक नंदकिशोर मीणा, गोविन्द सिंह, सावित्री जाट, अब्दुल मोहतरम, देशराज मीना, जन-स्वास्थ्य बालमुकन्द सोनी एवं जिले के अधिकारी, पैनल अधिवक्ता, पैरालीगल वोलेंटियर, आंगनबाडी कार्यकर्ता, शहरी नरेगा के कार्यकर्ता व आमजन उपस्थित थे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश डॉ. रूबीना परवीन अंसारी ने शिविर को संबोधित किया।